रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2019/आषाढ़ 27, 1941
No. 410]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2019/ASHADHA 27, 1941

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 508 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम) समूह 'ग' तकनीकी पद भर्ती नियम, 1999 को जहां तक उनका संबंध कर्मशाला सहायक/भंडार सहायक/पुस्तकालय सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत कर्मकार इकाई में कर्मशाला परिचर/भंडार परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), के कर्मशाला परिचर/ भंडार परिचर समूह 'ग' भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदिः- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति– जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
कर्मशाला परिचर/ भंडार परिचर **विलयित पद** *मेकेनिक (टंकण मशीन तथा उपस्कर= एक पद; मेकेनिक (इलेक्ट्रोनिक्स मशीन तथा उपस्कर)=तीन पद; गेस्टेटनर प्रचालक = चार पद;* कर्मशाला परिचर/ भंडार परिचर से विलयित कर दिए गए हैं।	21* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	**स्तर - 2**	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलीय है)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिया आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7.	**8.**	**9.**	**10.**
आवश्यक अर्हताएः (क) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सुसंगत व्यवसाय में दिया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र **अनुभवः** उपर्युक्त अर्हताएं प्राप्त करने के बाद इस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजस्ट्रीकृत किसी कारखाना या उद्योग अथवा संस्थान से संगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; **वांछनीय अर्हताएं:** राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रदान राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र	आयुः नहीं शैक्षणिक अर्हताः हाँ	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती सेः बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11.	**12.**	**13.**
प्रौन्नतिः महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (एमटीएस) के रूप में कार्यरत व्यक्ति जिनकी स्तर-I में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।	**समूह 'ग'** विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टिकरण पर विचार करने लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर होगी 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के निदेशक प्रशिक्षण या संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण अथवा विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट	लागू नहीं

	सचिवालय, महिला प्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय –**सदस्य;** 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इत्तर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो – **सदस्य** 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय - **सदस्य**	

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/01/2017-डब्ल्यूटी-पार्ट (2)]

दीपांकर मल्लिक, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2019

G.S.R. 508 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Group 'C'- Technical Posts Recruitment Rules, 1999, insofar as they relate to the post of Workshop Attendant/ Store Attendant/Library Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Workshop Attendant / Store Attendant, in the workmen's unit as fixed by the Central Government under Women Training, Directorate General of Training, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Workshop Attendant / Store Attendant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. .– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limits for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Workshop Attendant/ Store Attendant. **Merged posts** *Mechanic (Typing Machines and Equipment) = One post; Mechanic (Electronics Machines and Equipment) = Three posts; Gestetner Operator = Four Posts,* merged with Workshop Attendant/ Store Attendant.	21* (2019) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	**Level 2.**	Non-selection.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Departmental candidates up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential qualifications: (a) 10^{th} class pass under 10+2 system from a recognized Board;	Age: No. Educational qualification: Yes.	Two years for direct recruits.	Eighty per cent by direct recruitment; twenty per cent

(b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade. **Experience:** Two years experience in the relevant field from a factory or industry or establishment registered under any law for the time being in force after acquiring the above qualifications. **Desirable qualifications:** National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training.			by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: The persons working as Multi Tasking Staff (MTS) under the Women's Vocational Training Programme with five years regular service in level-1 possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).	**Group 'C'** Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Director of Training or Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – **Chairperson;** 2. Group 'A' officer, concerned Unit Secretariat, Women Training or Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – **Member;** 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – **Member;** 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute Women, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – **Member.**	Not applicable.

[F. No. DGT-A-12017-1/2017 WT- Pt (2)]

DEEPANKAR MALLICK, Dy.Director General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 509 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत कर्मकार इकाई में सहायक भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), के सहायक भंडारी, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदिः-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति–** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
सहायक भंडारी	8* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर –5	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	**क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
7.	**8.**	**9.**	**10.**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
11.	**12.**	**13.**
कर्मशाला परिचर/भंडार परिचर निम्नलिखित विलयित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों सहितः- ***विलयित पद** *मैकेनिक (टाइपिंग मशीन एवं उपकरण)=1 पद* *मकैनिक (इलेक्ट्रानिक्स मशीन एवं उपकरण) =तीन पद* *गेस्टेटनर ऑपरेटर = चार पद* उक्त पदों के स्तर में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कार्यरत।	समूह 'ग' विभागीय प्रौन्नति समिति (सीधे प्रोन्नति और पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) का निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक प्रशिक्षण या संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष, संबंधित एकक सचिवालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय –**अध्यक्ष** 2. संबंधित एकक सचिवालय/महिला प्रशिक्षण/प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के समूह 'क' अधिकारी –**सदस्य** 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अलावा उसी शहर में कार्यरत समूह 'क' का अधिकारी –**सदस्य** 4. प्राचार्य या सहायक निदेशक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय महिला कौशल विकास संस्थान, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय- **सदस्य**	लागू नहीं होता

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/1/2017-डब्ल्यूटी पार्ट (1)]

दीपांकर मल्लिक, उप-महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2019

G.S.R. 509 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Store Keeper in the workmen's unit as fixed by the Central Government under Women Training, Directorate General of Training, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Assistant Store Keeper, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limits for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Assistant Store Keeper.	8* (2019) *Subject to variation depending on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5.	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(11)	**(12)**	**(13)**
Workshop Attendant/ Store Attendant including the persons working on the following merged posts:- ***Merged posts** *Mechanic(Typing Machines and Equipment) = One post;* *Mechanic (Electronics Machines and Equipment) = Three posts;* *Gestetner Operator = Four Posts,* working under the Women's Vocational Training Programme with eight years regular service in the level of the said posts.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Director of Training or Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – **Chairperson;** 2. Group 'A' officer, concerned Unit Secretariat, Women Training or Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – **Member;** 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship **– Member;** 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute for Women, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – **Member.**	Not applicable.

[F. No. DGT-A-12017/1/2017 WT- Pt (1)]

DEEPANKAR MALLICK, Dy.Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.22 23:01:13 +05'30'